न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।
पीठासीन अधिकारी–विष्णु कुमार शर्मा (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(J.O. Code No.-UP1890)
UPSH010065432020

सत्र वाद संख्या-1098/2020

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

गुड्डू पुत्र हंसराम, निवासी ग्राम आलमपुर पिपरिया, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर।

मुकदमा अपराध संख्या–468/2020
धारा–304 भा0 दं0 सं0
थाना–बण्डा, जिला–शाहजहाँपुर।

राज्य की ओर से– श्री अनुज कुमार सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

बचाव पक्ष की ओर से– श्री अनूप कुमार त्रिवेदी, एडवोकेट

निर्णय

1. उपरोक्त सत्र वाद संख्या–1098/2020, राज्य प्रति गुड्डू, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर द्वारा थाना बण्डा के मुकदमा अपराध संख्या–468/2020 में अभियुक्त गुड्डू का विचारण धारा 304 भा0 दं0 सं0 में किये जाने हेतु दिनांक: 09–11–2020 को सत्र सुपुर्द किया गया है।

प्रकरण के विस्तृत तथ्य

2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा पी0 डब्ल्यू0–1 आत्माराम पुत्र रामफल, निवासी कर्रखेड़ा, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा थाना बण्डा में इस आशय की तहरीर (प्रदर्श क–1) दिनांकित 22–08–2020 प्रस्तुत की गयी कि–

उसने अपनी बहन चम्पा की शादी गुड्डू पुत्र हंसराम से की थी, उसके दो बच्चे हैं। उसके बहनोई कुछ सालों से बीमार

Date: 25-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

Digitally signed by Vishnu Kumar Sharma
Date: 2026.03.31 10:16:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रहते हैं। उनके इलाज के खर्चों को लेकर गुड्डू की मॉ प्रेमा पत्नी हंसराम, हसंराम पुत्र दुलारे व शेर पाल पुत्र हंसराम, उसकी बहन को आये दिन कोसते थे। आरोप लगाते थे कि जब से चम्पा का विवाह हुआ है घर में परेशानी ही है। उसकी बहन ने अपने हिस्से में मिला घर भी बेचकर गुड्डू के इलाज में लगा दिया। झोपड़ी में गुजारा करती थी। जब उसने हंसराम से हिस्सा मांगा इसी पर कहा सुनी हो गयी और दिनांक: 21–08–2020 को शाम प्रेमा, हंसराम व शेर पाल ने उसकी बहन को मारा पीटा, जिससे उसकी मौत हो गयी। हिस्सा बंटवारा की मांग करने पर उक्त लोगों ने उसकी बहन की हत्या की है। सूचना को आया है आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया।

3. वादी मुकदमा आत्माराम की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांकः 22–08–2020 को समय 05:44 बजे थाना बण्डा पर मुकदमा अपराध संख्या–468/2020, धारा 302 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्तगण श्रीमती प्रेमा, हंसराम एवं शेरपाल के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। जिसका उल्लेख जी0डी0 नं0–10 दिनांक: 22–08–2020 को समय 04:43 बजे किया गया।

4. मामले की विवेचना की गयी। विवेचक द्वारा वादी आत्माराम का बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी प्रदर्श क–11 तैयार किया गया। मृतका श्रीमती चम्पा देवी के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पंचायतनामा प्रदर्श क–5 तैयार किया गया। मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन कर केस डायरी में अंकित किया गया। अभियोग में प्रारम्भिक विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के

Date: 25-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

आधार पर उक्त घटना का अचानक घटित होने के कारण अभियोग धारा 302 भा0 दं0 सं0 से धारा 304 भा0 दं0 सं0 में तरमीम किया गया। विवेचना के मध्य यह तथ्य प्रकाश में आया कि गुड्डू व उसकी पत्नी चम्पा देवी के मध्य पैसे के लेनदेन को लेकर झगड़ा हुआ। चम्पा ने मूसली गुड्डू के सिर में मारी गुस्से में गुड्डू ने मूसली छीनकर चम्पा देवी के सिर में मार दी, जिससे चम्पा देवी की मौके पर मृत्यु हो गयी। विवेचना से घटना में गुड्डू पुत्र हंसराम की संलिप्तता पायी गयी तथा श्रीमती प्रेमा देवी, श्री हंसराम एवं शेरपाल की नामजदगी गलत पायी गयी तथा उनका नाम विवेचना से पृथक किया गया। बाद तमामी विवेचना व संकलित किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त गुड्डू के विरूद्ध धारा 304 भा0 दं0 सं0 में आरोपपत्र संख्या–499/2020 (प्रदर्श क–12) न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

5. दिनांक: 03–09–2021 को अभियुक्त गुड्डू के विरूद्ध धारा 304 भा0 दं0 सं0 के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोप से इनकार करते हुये विचारण की मांग की गयी।

6. अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया–

पी0 डब्ल्यू0–1	आत्माराम
पी0 डब्ल्यू0–2	भगवानदास
पी0 डब्ल्यू0–3	मुकेश
पी0 डब्ल्यू0–4	डॉ0 अश्वनी कुमार
पी0 डब्ल्यू0–5	हे0 कां0 527 रामकिशोर
पी0 डब्ल्यू0–6	निरीक्षक संतोष कुमार सिंह
पी0 डब्ल्यू0–7	उपनिरीक्षक सुनील शर्मा
पी0 डब्ल्यू0–8	सेवानिवृत्त निरीक्षक चन्द्रपाल

7. उपरोक्त साक्षीगण द्वारा निम्नलिखित अभिलेख प्रपत्रों को साबित

Date: 25-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

किया गया है–

प्रदर्श क–1	तहरीर
प्रदर्श क–2	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
प्रदर्श क–3	प्रथम सूचना रिपोर्ट
प्रदर्श क–4	नकल कायमी जी0 डी0
प्रदर्श क–5	पंचायतनामा
प्रदर्श क–6	फोटो नाश
प्रदर्श क–7	चालान नाश
प्रदर्श क–8	पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी
प्रदर्श क–9	फर्द बाबत कब्जा लेने टुकड़ा खूनालूदा व सादा टुकड़ा
प्रदर्श क–10	फर्द बाबत कब्जा लेने मूसली लोहे की
प्रदर्श क–11	नक्शा–नजरी
प्रदर्श क–12	आरोपपत्र
वस्तु प्रदर्श–1	लोहे की मूसली
वस्तु प्रदर्श–2	गद्दे का टुकड़ा
वस्तु प्रदर्श–3	खून आलूदा टुकड़ा

8. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0 प्र0 सं0 दिनांकः 20–11–2025 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि उसने कोई अपराध नहीं किया। झूँठा फँसाया गया है। यह भी कथन किया गया है कि वह कई वर्ष से बीमार चल रहा है। वह कमजोर व बीमार हालत में था। उसकी पत्नी की मृत्यु से उसके अलावा किसी अन्य को इतनी बड़ी क्षति नहीं हुयी है और उसको ही मुकदमे में झूँठा फँसाया गया है। वह निर्दोष है। बचाव पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में अभियुक्त गुड्डू के इलाज के सम्बन्ध में प्रपत्र कागज संख्या–1 लगायत 67 दाखिल किये गये हैं। बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

9. अभियोजन कथानक की सत्यता को आंकने हेतु उक्त अपराध को गठित करने वाले मूलभूत तत्वों पर दृष्टिपात कर लेना उपयुक्त होगा। वस्तुत:

उक्त अपराध के लिये अभियुक्त को दोषसिद्ध, उन तत्वों के अभियुक्त के विरूद्ध साबित करने में अभियोजन की सफलता अथवा विफलता पर ही निर्भर करती है।

धारा 304 भा0 दं0 सं0 *जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गयी है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना सम्भाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाये, तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ,*
अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाये, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

10. उक्त कथानक अभियोजन का है इसलिये अपने कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का दायित्व भी अभियोजन पर है।

11. अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को सिद्ध करने हेतु कुल 08 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों की साक्ष्य का परिशीलन किया जाना समीचीन होगा।

<u>अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण</u>

12. **<u>पी0 डब्ल्यू0–1 आत्माराम पुत्र रामफल</u>** वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि *इस मुकदमे की मृतका चम्पा उसकी सगी बहन थी। चम्पा की शादी घटना से करीब 8–9 साल पहले गुड्डू के साथ हुई थी। चम्पा के दो लड़के हैं, छोटा बेटा बन्दी, उम्र करीब 5 साल उसके पास रहता है। बड़ा बेटा करन, उम्र करीब 7 वर्ष चम्पा की ससुराल में रहता है।*

घटना से पहले कुछ सालों से उसके बहनोई गुड्डू बीमार रहते थे। दवाई के खर्चे को लेकर बहनोई गुड्डू, उनकी माँ प्रेमा, उनके पिता हंसराम व उनके भाई शेरपाल, उसकी बहन को यह कहकर कोसते रहते थे जब से यह ब्याह कर आयी है तब से उसके घर में परेशानी ही परेशानी है। गुड्डू के इलाज के लिये उसकी बहन ने अपने हिस्से का मकान बेच दिया और दवा में लगा दिया और झोपड़ी में रहकर गुजारा करती थी। आज से करीब सवा साल पहले की बात है उसकी बहन चम्पा ने हंसराम और शेरपाल से अपना हिस्सा मांगा इसी पर कहा सुनी व झगड़ा हुआ और उसी दिन शाम को गुड्डू, हंसराम, प्रेमादेवी एवं शेरपाल ने उसकी बहन को मारा पीटा, जिससे उसकी मौत हो गयी। अपने बंटवारे का हिस्से मांगने के कारण उपरोक्त चारों लोगों ने उसकी बहन की हत्या कर दी। खबर मिलने के बाद वह अपने परिजनों के साथ चम्पा की ससुराल गया और थाने जाकर रिपोर्ट लिखायी। शामिल पत्रावली तहरीर कागज संख्या–5 क गवाह को दिखाई व पढ़कर सुनाई गयी गवाह ने अपनी निशानी अंगूठा व मजबून की पुष्टि करते हुये कहा कि उसने तहरीर लिखने वाले को गुड्डू का भी नाम बताया था, लेकिन उसने गुड्डू का नाम क्यों नहीं लिखा, इसकी वजह वह नहीं बता सकता। वह पढ़ा लिखा नहीं है। थाने में जिस आदमी से उसने तहरीर लिखायी थी वह उसका नाम पता नहीं जानता है। तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया। पुलिस ने उसके सामने चम्पा देवी की लाश के पंचनामे की कार्यवाही की थी। शामिल पत्रावली कागज संख्या–8 क/1 व 8 क/2 पर अपने नि0 अ0 की पुष्टि की। घटनास्थल से पुलिस ने उसके सामने गुड्डू का खून में सना हुआ टुकड़ा तथा सारा टुकड़ा कब्जे में लेकर सील मोहर करके लिखा पढ़ी की थी। उस लिखा पढ़ी के कागज संख्या–6 क/1 पर अपने नि0 अ0 की पुष्टि की। घटनास्थल से पुलिस ने उसके सामने चारपाई के पास से एक लोहे की मूसली कब्जे में लेकर सील मोहर करके लिखा पढ़ी की थी और उसका निशानी अंगूठा लगवाया था। फर्द मूसली 6 क/2 देखकर सुनकर अपना निशाने अंगूठे की पुष्टि

Date: 25-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

की। दरोगाजी ने उसका बयान लिया था।

13. **<u>पी0 डब्ल्यू0–2 भगवानदास पुत्र रामफल</u>** ने मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि *इस मुकदमें के मृतका चम्पा देवी मेरी सगी बड़ी बहन थी। आज से करीब पन्द्रह–सोलह साल पहले मेरे पिता व भाई आत्माराम ने हाजिर अदालत मुल्जिम गुड्डू के साथ की थी और अपनी हैसियत के अनुसार दान–दहेज दिया गया था। आज से तीन–चार पहले मेरे पिता रामफल की मृत्यु हो चुकी है। मेरे बहनोई गुड्डू मेरी बहन से कभी भी मारपीट अथवा गाली–गलौज नहीं करते थे। मेरी बहन चम्पा ने मुझसे व मेरे घर वालों से कभी भी गुड्डू द्वारा मारपीट करने या परेशान करने की शिकायत नहीं की। मेरे बहनोई गुड्डू की आंत फट गयी थी, जिसमें पस पड़ गया था, जिसका ऑपरेशन कई बार कई अस्पतालों में हुआ था, जिससे गुड्डू शारीरिक रुप से बहुत कमजोर हो गये थे व बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। दवा इलाज में घर की सम्पत्ति बेचकर लगानी पड़ गयी, जिससे गुड्डू की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गयी थी, चम्पा भी शारीरिक रुप से बहुत कमजोर हो गयी थी। आज से करीब चार साल पहले कमजोरी के कारण घर का काम करते समय चम्पा गिर गई थी जिससे उसका सिर पत्थर से टकरा गया था, जिससे चम्पा की मौत हो गयी। चम्पा की मौत की खबर पर मैं भी अपने भाई आत्माराम व अन्य घर–परिवार वालों व रिश्तेदारों के साथ चम्पा की ससुराल गया था, जहाँ पुलिस पहले से मौजूद थी। चम्पा की लाश की लिखा–पढ़ी के समय पुलिस ने कुछ बिना लिखे सादे कागजों पर मेरे हस्ताक्षर करवा लिये थे। पुलिस वालों ने मेरे सामने घटनास्थल से खून लगी हुई मिट्टी व सादा मिट्टी व खून से सने हुये गद्दे का टुकड़ा व गद्दे का सादा टुकड़ा अपने कब्जे में नहीं लिया था और न ही उसकी कोई लिखा–पढ़ी मेरे सामने करके मेरे हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस वालों ने चारपाई के पास से एक लोहे की मूसली मेरे सामने कब्जे में नहीं ली थी और न ही उसकी लिखा–पढ़ी मेरे सामने करके मेरे हस्ताक्षर करवाये थे। चम्पा की सास प्रेमा देवी, ससुर*

हंसराम तथा जेठ शेरपाल मेरी बहन चम्पा को ताने मारकर, मारपीट नहीं करते थे और न ही उनकी मारपीट से चम्पा की मौत हुई। चम्पा के दो बेटे हैं जो अपने पिता के पास रहते हैं। इस घटना के बारे में पुलिस वालों ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही मेरा कोई बयान लिया था। गवाह को इस स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया जाता है।

14. **पी0 डब्ल्यू0–3 मुकेश पुत्र बुलाकीराम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि *इस मुकदमें की मृतका चम्पा देवी मेरी पत्नी सुनीता देवी की सगी छोटी बहन थीं। आज से करीब पन्द्रह–सोलह साल पहले मेरे ससुर ने हाजिर अदालत मुल्जिम गुड्डू के साथ चम्पा देवी की शादी हिन्दू रीति–रिवाज से की थी और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान–दहेज दिया गया था। आज से तीन–चार पहले मेरे ससुर रामफल की मृत्यु हो चुकी है। आज से करीब चार साल पहले चम्पा देवी की मौत हो गयी थी। इस खबर पर मैं भी चम्पा देवी की ससुराल गया था, जहां पुलिस ने चम्पा देवी के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही मेरे सामने की थी और पंचायतनामा के कागजों पर मेरे हस्ताक्षर कराये थे। चम्पा देवी के सिर में चोट का निशान था। इसके बारे में पुलिस वालों ने मुझसे पूछताछ की थी।*

15. **पी0 डब्ल्यू0–4 डॉ0 अश्वनी कुमार, चिकित्साधिकारी, सी0 एच 0 सी0 कांट, जनपद शाहजहाँपुर** ने मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि *दिनांकः 22–08–2020 को मैं उपरोक्त पद पर ए०पी०एच०सी० सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर में तैनात था। उस दिन मृतका श्रीमती चम्पा देवी पत्नी गुड्डू, निवासी ग्राम आलमपुर पिपरिया, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर के शव को सी०पी० रियाजउद्दीन व सी०पी० अंशुल कुमार थाना बण्डा पोस्टमार्टम के लिये लाये थे। शव की पहचान मृतका के भाई आत्माराम व अंकल हरिश कुमार व उपरोक्त पुलिस कर्मियों ने की थी। पोस्टमार्टम उसी दिनांक को 02:15 पी०एम० पर शुरू करके 03:00 पी०एम० पर समाप्त किया*

Date: 25-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

गया।

<u>सामान्य परीक्षणः–</u>

शव की लम्बाई 144 सेमी० थी। शारीरिक बनावट मध्यम औसत काठी की थी। मृतका के वस्त्रों में एक ब्लाउज, एक पेटीकोट, एक प्लास्टिक कड़ा, दो कांच की चूड़ी, एक मोती की माला, एक हेयर क्लिप, दो चिमटी, एक नोज रिंग, छह बिछिया व एक बिंदी थे। पी०एम० स्टैनिंग पिछले भाग में मौजूद थी। आर०एम० निचले व ऊपरी हिस्से में मौजूद थी। आंखे बंद थी और मुंह अधखुला था तथा जीभ दातों के बीच में थी। सूखा थक्केदार रक्त मुंह से दोनों नथुनों व दोनों कानों में मौजूद था।

<u>मृत्युपूर्व चोटेंः–</u>

1– लैसेरेटेड वुण्ड 12 सेमी X 6 सेमी० X ब्रेन कैविटी डीप, माथे पर दाहिनी ओर दाहिनी भौंह से 1.00 सेमी० ऊपर से पैराइटल रीजन तक मौजूद था।

<u>आन्तरिक परीक्षणः–</u>

सिर की दाहिनी पैराइटल एवं फ्रन्टल बोन फ्रैक्चर पायी गई। मस्तिष्क की रक्त वाहिनी कन्जेस्टेड थी। मस्तिष्क लैसेरेटेड था एवं फ्रैक्चर के नीचे हेमाटोमा मौजूद था तथा मस्तिष्क का वजन 1230 ग्राम था। दांत 15/15 थे। दोनों फेफड़े कन्जेस्टेड थे, दाहिने का वजन 440 ग्राम व बायें का वजन 400 ग्राम था। हृदय का दाहिना भाग भरा हुआ और बायां खाली थी, वजन 220 ग्राम था। आमाशय में 100 ग्राम पेस्टी फूड मैटेरियल मौजूद था और म्यूकोसा सामान्य थी। छोटी आंत में काईम और गैसें मौजूद थीं, बड़ी आंत में फीकल मैटर व गैसें मौजूद थीं। लीवर कन्जेस्टेड था और वजन 1120 ग्राम था। पित्ताशय आधा भरा हुआ था। प्लीहा कन्जेस्टेड थी और वजन 120 ग्राम था। दोनों गुर्दे कन्जेस्टेड थे, दाहिने का वजन 110 ग्राम और बायें का वजन

Date: 25-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

100 ग्राम था। गर्भाशय गर्भ रहित था।

मेरी राय में मृत्यु का सम्भावित समय आधा दिन पूर्व का था।

मेरी राय में मृत्यु का तात्कालिक कारण मृत्यु पूर्व हेड इंजरी से उत्पन्न कोमा था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने अपने लेख व हस्ताक्षर में दिनांकः 22–08–2020 को पोस्टमार्टम करते समय तैयार की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल पत्रावली कागज संख्या–9 क/1 लगायत 9 क/4 है, जिस पर ***प्रदर्श क– 2*** *डाला गया।*

16. **पी0 डब्ल्यू0–5 हे0 कां0 527 रामकिशोर** ने मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि *दिनांकः 22–08–2020 को मैं बतौर कॉ क्लर्क थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर में तैनात था। उस दिन वादी आत्माराम पुत्र रामफल, निवासी कर्रखेड़ा, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर की हाथ से लिखी हुई तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०–468/2020, धारा 302 भा०दं०सं० बनाम श्रीमती प्रेमा व 2 अन्य थाना बण्डा की चिक एफ०आई०आर० शब्द ब शब्द बोल–बोलकर कम्प्यूटर पर मेरे द्वारा टंकित कराई गई। शामिल पत्रावली चिक एफ०आई०आर० कागज संख्या–4 क/1 लगायत 4 क/2 पर तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील शर्मा के हस्ताक्षर हैं व थाना बण्डा की मोहर लगी हुई है। चिक एफ०आई०आर० पर* ***प्रदर्श क–3*** *डाला गया। इस मुकदमें की कायमी जी०डी० संख्या–10 दिनांकित 22–08–2020 समय 05.43 बजे मैंने बोल–बोलकर कम्प्यूटर पर टंकित कराई थी। शामिल पत्रावली कायमी जी०डी० उपरोक्त पर मेरे हस्ताक्षर हैं तथा थाना बण्डा की मोहर लगी है, जिस पर* ***प्रदर्श क–4*** *डाला गया।*

17. **पी0 डब्ल्यू0–6 निरीक्षक संतोष कुमार सिंह** ने मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि *दिनांकः 22–08–2020 को मैं बतौर व०उ०नि० थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर में तैनात था। उस दिन मृतका चम्पा देवी, उम्र*

करीब 26 वर्ष पत्नी गुड्डू जाति पासी, निवासी ग्राम आलमपुर पिपरिया, थाना बण्डा, जिला शाहजहाँपुर की मृत्यु की सूचना आत्माराम पुत्र रामफल, निवासी कर्रखेड़ा, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना हाजा पर मारपीट करने से मृत्यु होने की सूचना दिये जाने की सूचना जरिये दूरभाष प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष व हमराही पुलिस फोर्स के साथ मैं ग्राम आलमपुर पिपरिया थाना बण्डा उपरोक्त पहुंचा तथा कॉ० रियाजुद्दीन व कॉ० अंशुल कुमार आवश्यक प्रपत्र मय चिक एफ०आई०आर० लेकर थाने से रवाना होकर मौके पर आ गये तथा मृतका का महिला होने के कारण एस०ओ० महोदय द्वारा म०कॉ० शीतल को भी मौके पर बुलवाया गया। मेरे द्वारा मृतका उपरोक्त श्रीमती चम्पा देवी के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही उस दिनांकः 22–08–2020 को समय 06:05 ए०एम० पर शुरू करके उस दिनांक को 07:30 ए०एम० पर समाप्त की गई। अपराध संख्या आदि आवश्यक उल्लेख करते हुये पंचान सत्यपाल पुत्र श्याम बिहारी निवासी पसियापुर, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर, आत्माराम पुत्र रामपाल व रामगोपाल पुत्र तुलाराम व दीनदयाल पुत्र तुलाराम, निवासीगण ग्राम कर्रखेड़ा थाना बण्डा उपरोक्त तथा मुकेश पुत्र बुलाकीराम, निवासी ग्राम भूड़ा थाना बण्डा उपरोक्त नियुक्त किये तथा स्थित शव, हुलिया शव, कपड़े शव, चोटें शव का उल्लेख करते हुये राय पंचान अंकित करायी। पंचों ने राय व्यक्ति की कि चम्पा देवी की मृत्यु सिर में आयी चोटों के कारण हुई है, फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिये चम्पा देवी के शव का पोस्टमार्टम करवा लिया जाये। तत्पश्चात पंचान के अलामात बनवाये तथा पंचों से मेल खाती हुई अपनी राय अंकित की। शामिल पत्रावली पंचायतनामा कागज संख्या–8 क/1 लगायत 8 क/2 मेरे लेख व हस्ताक्षर में हैं, जिस पर ***प्रदर्श क–5*** *डाला गया। पंचनामा की कार्यवाही पूर्ण करते हुये शव को सफेद कपड़े में सील, सर्वे, मोहर करके कॉ० रियाजुद्दीन व कॉ० अंशुल कुमार के सुपुर्द करके पोस्टमार्टम के लिये रवाना किया गया। शामिल पत्रावली फोटो नाश कागज संख्या–11 क मेरे*

Date: 25-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

लेख व हस्ताक्षर में है, जिस ***प्रदर्श क–6*** *डाला गया। चालान नाश कागज संख्या–12 क मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर* ***प्रदर्श क–7*** *डाला गया। शामिल पत्रावली चिट्ठी सी०एम०ओ० कागज संख्या–13 ख/35 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर* ***प्रदर्श क–8*** *डाला गया। पंचनामा के उपरान्त फर्द बाबत कब्जा पुलिस खून आलूदा गद्दे का टुकड़ा व सादा टुकड़ा गद्दे का तथा घटना में प्रयुक्त लोहे की मूसली की फर्द तत्कालीन थानाध्यक्ष सुनील शर्मा द्वारा मेरे सामने तैयार करके मेरे भी हस्ताक्षर करवाये थे तथा फर्दों में उल्लिखित बरामदगी मेरे सामने की थी। शामिल पत्रावली फर्द कागज संख्या–6 क/1 व 6 क/2 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुये, साक्षी ने कहा कि इन फर्दों की बरामदगी मेरे सामने हुई थी और फर्दे सामने ही तैयार की गयीं थीं।*

18. **<u>पी0 डब्ल्यू0–7 उपनिरीक्षक सुनील शर्मा</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि *दिनांकः 22–08–2020 को थानाध्यक्ष बण्डा की पदीय हैसियत में मेरे द्वारा उपरोक्त अभियोग की विवेचना ग्रहण की गई थी और सी०डी० का पर्चा नंबर–1 अंकित किया गया है, जिसमें मैंने नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल रपट कायमी जी०डी० नंबर–10 समय 05:43 दिनांकः 22–08–2020 अंकित करने के साथ ही, मृतका श्रीमती चम्पा देवी के पंचनामे की कार्यवाही का विवरण जो कि मेरे द्वारा एस०एस०आई० सन्तोष से भरवाया गया था, अंकित करने के साथ ही चम्पा देवी के शव को कॉ० अंशुल कुमार एवं कॉ० रियाजुद्दीन को पी०एम० कराने हेतु निर्देश देकर, मोर्चरी भेजने का विवरण भी अंकित किया था। इस पर्चे में मैंने रक्त रंजित गद्दे का टुकड़ा व सादा टुकड़ा व पास में पड़ी मूसली लोहा को कब्जा पुलिस में लेकर कपड़े में सील, सर्वे, मोहर करके नमूना मोहर बनाने का विवरण एवं फर्द बनाने का उल्लेख भी किया था। इस पर्चे में मैंने वादी आत्माराम एवं वादी के भाई भगवानदास का कथन अन्तर्गत धारा 161 सी०आर०पी०सी० अंकित करने के साथ ही, सुखरानी पत्नी जगतराम, बलबहादुर पुत्र कुलबहादुर से पूछताछ कर*

विवरण एवं वादी की निशानदेही पर किये गये निरीक्षण घटनास्थल का विवरण भी अंकित किया था। इसी पर्चे में मैंने चम्पा देवी की मृत्यु के सम्बन्ध में गोपनीय जानकारी से प्रकाश में आये तथ्यों का उल्लेख भी किया था तथा मृतका के पति गुड्डू के अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में लिये गये कथन अन्तर्गत धारा 161 सी०आर०पी०सी० भी अंकित किये थे तथा मृतका चम्पा देवी के पोस्टमार्टम की कार्बन प्रति का विवरण एवं गुड्डू के बयान की वीडियो बनाये जाने से सम्बन्धित उल्लेख एवं एफ०आई०आर० लेखक रामकिशोर के बयान भी अंकित किये थे तथा विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग धारा 302 भा०दं०सं० से धारा 304 भा०दं०सं० में तरमीम किये जाने का विवरण भी उल्लिखित किया था। शामिल पत्रावली कागज संख्या–6 क/1 फर्द बाबत कब्जा पुलिस में लेने घटनास्थल से गद्दे का टुकड़ा खून आलूदा व सादा कागज संख्या–6 क/2 फर्द बाबत कब्जा पुलिस में लेने घटनास्थल से मूसली लोहा एवं कागज संख्या–7 क/1 नक्शा–नजरी मु०अ०सं० 498/2020 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह सभी प्रपत्र मेरे द्वारा तैयार किये गये हैं और इन पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद हैं। साक्षी के इस कथन पर उपरोक्त प्रपत्रों पर क्रमशः ***प्रदर्श क–9*** *लगायत* ***11*** *डाला गया। न्यायालय के समक्ष एक सील बंद पैकेट जिसकी सभी सीले दुरूस्त हैं। पेश किया गया पैकेट पर इबारत पी०एम० नं० 748, क्राइम नं० 468 दिनांकः 22–08–2020 टू दा एस०एच०ओ० पर थाना बण्डा, जिला शाहजहाँपुर वन–वन सील्ड बण्डल ऑफ क्लॉथ कन्टेनिंग चम्पा देवी 26/f, d/b चम्पा देवी पत्नी गुड्डू निवासी आलमपुर पिपरिया, थाना बण्डा, जिला शाहजहाँपुर लिखा है तथा इस पर हिन्दी में ब्लाउज, पेटीकोट, दो कड़ा प्लास्टिक, दो कांच की जोड़ी, मोती की माला, बालों का क्लीप, बालों की चिमटी दो, नाक की रिंग, बिछिया छः एवं बिन्दी लिखा है एवं डॉ० अश्विनी कुमार लिखकर दिनांकः 22–08–2020 पड़ा है तथा दिनांकः 05–02–2021 लिखकर क्षेत्राधिकारी, पुवायाँ द्वारा*

Date: 25-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

मु०अ०सं०–468/2020 थाना बण्डा के अग्रसारण को दर्शित करने वाली चिट बंदी भी मौजूद है। न्यायालय की अनुमति से विपक्षी अधिवक्ता की उपस्थिति में सील बंद पैकेट खोला गया। पैकेट के अंदर एक लोहे की मूसली निकली जिस पर लिपटे कपड़े पर मु०अ०सं०–468/2020 अन्तर्गत धारा 302 आई०पी०सी० बनाम हंसराम आदि थाना बण्डा शाहजहाँपुर लिखा दिखाई दे रहा है। इस कपड़े पर सुनील शर्मा एस०ओ० लिखा दिखाई दे रहा है तथा कपड़े पर जंक के निशान मौजूद है, किन्तु सुनील शर्मा लिखे होने के ऊपर मौजूद लिखावट स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तारीख 22–08–2020 पड़ी दिखाई दे रही है। मूसली को देखकर साक्षी ने कहा कि यह लोहे की मूसली मेरे द्वारा घटनास्थल से बरामद की गयी थी। इसके अतिरिक्त पैकेट के अन्दर से दो टुकड़े भी निकले जिन्हें देखकर साक्षी ने कहा कि ये दो टुकड़ों में से गद्दे का मेरे द्वारा बरामद एक ही टुकड़ा है। मेरे द्वारा बरामद दूसरा टुकड़ा इस पैकेट में नहीं है। मैंने गद्दे का यह टुकड़ा घटनास्थल से बरामद किया था। साक्षी के इन कथनों पर लोहे की मूसली पर ***वस्तु प्रदर्श–1*** *तथा गद्दे के टुकडे पर* ***वस्तु प्रदर्श–2*** *डाला गया, किन्तु अंकन की असंभवता के कारण अंकित नहीं किया जा सका। साक्षी ने पैकेट से निकली वस्तुओं को पुनः देखकर कहा कि इसमें मौजूद वस्तुओं में मेरे द्वारा घटनास्थल से बरामद किया गया गद्दे का दूसरा टुकड़ा भी मौजूद है। इनमें से एक टुकड़ा जो बड़ा है उसको देखकर साक्षी ने कहा कि यह गद्दे का टुकड़ा मेरे द्वारा बरामद खून आलूदा टुकड़ा है तथा छोटे टुकड़े को देखकर कहा कि यह गद्दे का सादा टुकड़ा है। खून आलूदा टुकड़े पर* ***वस्तु प्रदर्श–3*** *डाला गया, किन्तु अंकन की असंभवता के कारण अंकित नहीं किया जा सका।*

19. **<u>पी0 डब्ल्यू0–8 सेवानिवृत्त निरीक्षक चन्द्रपाल</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि *दिनांकः 23–08–2020 को मु०अ०सं०–468/2020 धारा 304 आई०पी०सी०, थाना बण्डा की*

विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण कर प्रारम्भ की गयी। उस दिन सी०डी० का पर्चा नंबर–2 किता किया, जिसमें पूर्व किता सी०डी० का अवलोकन कर उल्लेख केस डायरी में किया। दिनांकः 24–08–2020 को सी०डी० का पर्चा नंबर–3 किता किया, जिसमें बयान स्वतंत्र साक्षी शिवदास, श्रीमती सुखरानी व श्रीमती रीतू अंकित किये। दिनांकः 27–08–2020 को सी०डी० का पर्चा नंबर–4 किता किया, जिसमें बयान नामित एफ०आई०आर० हंसराम, श्रीमती प्रेमा देवी व शेरपाल अंकित किये तथा अब तक की विवेचना में संकलित साक्ष्य की पर्याप्तता के आधार पर नामित प्रेमा देवी, शेरपाल व हंसराम के विरूद्ध साक्ष्य न पाते हुये उनका नाम विवेचना से पृथक किया गया तथा गुड्डू का नाम प्रकाश में आने पर उसका उल्लेख रपट नंबर–72 समय 23:14 बजे दिनांकः 27–08–2023 में करते हुये उल्लेख केस डायरी में किया। दिनांकः 29–08–2020 को सी०डी० का पर्चा नंबर–5 किता किया, जिसमें मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गुड्डू को गिरफ्तार किया गया और उसका बयान अंकित किया गया। चूंकि अभियुक्त गुड्डू द्वारा जुर्म का इकबाल किया गया इसलिये उसका बयान 164 सी०आर०पी०सी० अंकित करने हेतु रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी। दिनांकः 05–09–2020 को सी०डी० का पर्चा नंबर–6 किता किया, जिसमें अवलोकन पोस्टमार्टम रिपोर्ट चम्पा देवी करते हुये उल्लेख केस डायरी में किया तथा अभियुक्त गुड्डू की बी०एच०टी० जिला अस्पताल से प्राप्त करके उसका उल्लेख केस डायरी करते हुये, संलग्न केस डायरी किया। दिनांकः 11–09–2020 को सी०डी० का पर्चा नंबर–7 किता किया, जिसमें माननीय न्यायालय से अभियुक्त का रिमाण्ड प्राप्त किया गया। दिनांकः 12–09–2020 को सी०डी० का पर्चा नंबर–8 किता किया, जिसमें बयान पंचायतनामा भरने वाले एस०एस०आई० संतोष कुमार सिंह व फर्द गवाह कॉ० मनीष देशवाल, कॉ० अंकित व कॉ० धर्मपाल अंकित किये तथा पी०एम० कराने वाले कॉ० रियाजुद्दीन व कॉ० अंशुल कुमार के बयान अंकित किये तथा शव का निरीक्षण

Date: 25-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

करने वाली एल०सी० शीतल अंकित किये। दिनांकः 15–09–2020 को सी०डी० का पर्चा नंबर–9 किता किया, जिसमें बयान गवाह पंचनामा सत्यपाल, आत्माराम, रामगोपाल, दीन दयाल व मुकेश अंकित किये। दिनांकः 17–09–2020 को सी०डी० का पर्चा नंबर–10 किता किया, जिसमें अभियुक्त गुड्डू के पुत्र बन्टी से पूछताछ कर बयान अंकित किये। इसी सी०डी० में शाखा प्रबन्धक पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, शाखा डभौरा सेवा, मृतका के बैंक खाता का विवरण लेकर उल्लेख सी०डी० में किया। दिनांकः 21–09–2020 को सी०डी० का पर्चा नंबर–11 किता किया, जिसमें मुकदमें से सम्बन्धित माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुरादाबाद प्रेषित करने का उल्लेख किया गया है तथा इसी सी०डी० में अब तक की विवेचना में संकलित किये गये साक्ष्य को पर्याप्त पाते हुये अभियुक्त गुड्डू के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–499/2020 दिनांकितः 21–09–2020 अन्तर्गत धारा 304 आई०पी०सी० माननीय न्यायालय प्रेषित करके विवेचना समाप्त की गयी। शामिल पत्रावली आरोपपत्र कागज संख्या–3 क/1 लगायत 3 क/4 मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर तैयार करायी गयी है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर मय दिनांक हैं, जिस पर ***प्रदर्श क–12*** *डाला गया।*

<u>उभय पक्ष द्वारा किये गये तर्कों का विश्लेषण</u>

20. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सम्पूर्ण मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। कथित घटना अभियुक्त द्वारा ही कारित की गयी है, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से साबित है। वादी आत्माराम द्वारा दी गई तहरीर तथा उसके मुख्य परीक्षण में दिये गये बयान से यह स्थापित होता है कि मृतका चम्पा की मृत्यु स्वाभाविक नहीं, बल्कि अभियुक्त गुड्डू द्वारा मारपीट के परिणामस्वरूप हुयी, जिसका कारण पारिवारिक विवाद एवं आर्थिक तनाव था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मृतका को गम्भीर सिर की चोट (हेड इंजरी)

लगी, जो मृत्यु का तात्कालिक कारण बनी और ऐसी चोट साधारण गिरने से भी सम्भव होने के बावजूद अभियोजन के अनुसार परिस्थितिजन्य साक्ष्य जैसे घटनास्थल से रक्तरंजित वस्तुओं व मूसली की बरामदगी तथा प्रारम्भिक कथनों में आरोप, यह दर्शाते हैं कि घटना आकस्मिक नहीं, बल्कि हिंसात्मक थी। विवेचना अधिकारी द्वारा एकत्र साक्ष्यों एवं अभियुक्त के कथित इकबाल के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि अभियुक्त द्वारा उत्पन्न विवाद के दौरान प्रहार किया गया, जिससे चम्पा की मृत्यु हुयी। अभियुक्त का कृत्य कम से कम भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध सिद्ध होता है। अत: अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया है।

21. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की कहानी पूर्णतः अविश्वसनीय, विरोधाभासी एवं साक्ष्य विहीन है। अभियोजन द्वारा कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी पूर्ण हो रही है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच–विचार कर विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कथित घटना का कोई हेतुक नहीं दिखाया गया है। वादी ने तहरीर में गुड्डू को अभियुक्त नहीं बनाया है और यह स्वीकार किया है कि वह कई सालों से बीमार चल रहा है। स्वयं वादी आत्माराम (पी0 डब्ल्यू0–1) ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि घटना के सम्बन्ध में उसने तहरीर पढ़कर नहीं सुनी थी तथा गाँव वालों के कहने पर अंगूठा लगा दिया था, साथ ही उसने यह भी स्वीकार किया कि उसकी बहन चम्पा की मृत्यु कमजोरी के कारण गिरने से सिर पत्थर से टकराने के कारण हुयी। इसी प्रकार पी0 डब्ल्यू0–2 भगवानदास एवं पी0 डब्ल्यू0–3 मुकेश ने भी स्पष्ट रूप से अभियोजन की कहानी का खण्डन करते हुये कहा कि मृतका के साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुयी और वह

Date: 25-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

स्वयं गिरकर घायल हुई थी। चिकित्सीय साक्ष्य भी अभियोजन का समर्थन नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि पाई गई चोट साधारण रूप से पत्थर पर गिरने से भी सम्भव है तथा शरीर पर अन्य कोई बाहरी चोट नहीं पाई गयी, जो कि कथित मारपीट की घटना को संदिग्ध बनाती है। कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, कथित मूसली पर कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं कराया गया तथा विवेचक स्वयं यह स्वीकार करता है कि घटना के सम्बन्ध में ठोस साक्ष्य संकलित नहीं हो सके। अतएव, जब मुख्य गवाह ही अभियोजन का समर्थन नहीं करते, चिकित्सीय साक्ष्य अनुकूल नहीं है तथा सम्पूर्ण मामला केवल संदेह एवं अनुमान पर आधारित है, तब अभियुक्त गुड्डू के विरुद्ध अपराध संदेह से परे सिद्ध नहीं होता। आपराधिक विधि के सिद्धान्त के अनुसार संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिये, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

22. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुनने के उपरान्त निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु निर्धारित किये जाते हैं:–

1–क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 304 भा0 दं0 सं0 युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

2–निष्कर्ष।

<u>निस्तारण विचारणीय बिन्दु संख्या–1</u>

23. विधि का यह सुनहरा सिद्धान्त है कि जब तक कि किसी अभियुक्त के विरूद्ध अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे कानून के अनुसार साबित न हो जाये, वह निर्दोष माना जाता है और इस सिद्धान्त के विरूद्ध अभी भी आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन नहीं हुआ है तथा विधि का यह सिद्धान्त है कि **कोई निर्दोष को सजा न हो, लेकिन कोई दोषी छूटे ना**। ***उ0प्र0 राज्य बनाम रामवीर सिंह 2007(6) SCC 164*** के इन्हीं सुनहरे सिद्धान्तों को दृष्टिगत

Date: 25-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

रखते हुये यह देखना होगा कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन पक्ष ने आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है या नहीं?

24. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि **वादी ने तहरीर में गुड्डू को अभियुक्त नहीं बनाया है और यह स्वीकार किया है कि वह कई सालों से बीमार चल रहा है।**

25. इसके विपरीत अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि क्योंकि वादी को सम्पूर्ण घटना की जानकारी तत्काल नहीं थी। दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतका एवं अभियुक्त के बीच कहा–सुनी हुयी। मृतका ने अभियुक्त पर मूसली से वार किया, जिससे अभियुक्त गुस्से में आकर मृतका से मूसली छीनकर उसके सिर पर वार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप चम्पा देवी की मृत्यु हो गयी।

26. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली का समग्र अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि केस डायरी में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि गुड्डू व उसकी पत्नी चम्पा देवी के बीच झगड़ा/मारपीट हुयी। चम्पा ने गुड्डू के सिर में इमामदस्ते की मूसली मारी, तब गुस्से में बदले की नियत से गुड्डू ने वही मूसली चम्पा देवी से छीनकर उसके सिर में मारी, जिससे उसकी मौत हो गयी। उक्त कथनों की पुष्टि साक्षी पी0 डब्ल्यू0–1 आत्माराम के साक्ष्य से भी होती है, जिसमें उसने मृतका व अभियुक्त के मध्य विवाद होने के सम्बन्ध में कथन किया है तथा यह भी कथन किया है कि गुड्डू ने उसे मारा–पीटा, जिससे उसकी मौत हो गयी। यह स्वाभाविक है कि घटना के तुरंत पश्चात वादी को सम्पूर्ण एवं सटीक तथ्यों की जानकारी उपलब्ध न हो, विशेषकर जब घटना घरेलू परिस्थितियों में घटित हुई हो। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों, गवाहों के बयानों एवं परिस्थितिजन्य तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ कि मृतका एवं अभियुक्त के मध्य विवाद हुआ, जिसके दौरान आवेश में आकर अभियुक्त ने मूसली से प्रहार किया, जिससे मृतका को गम्भीर सिर की चोट आई

Date: 25-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

और उसकी मृत्यु हो गई। अतः केवल प्रारम्भिक तहरीर में नाम न होना अभियोजन के कथन को अविश्वसनीय नहीं बनाता, बल्कि बाद में विवेचना से प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर अभियुक्त की संलिप्तता स्थापित होती है। इसलिए अभियोजन का तर्क अधिक विश्वसनीय एवं स्वीकार्य है।

27. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि **प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच–विचार कर विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जबकि घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 03 किमी0 दर्शायी गयी है**, जिस कारण घटना संदिग्ध है।

28. इसके विपरीत अभियोजन द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित घटना दिनांक: 21–08–2020 की दर्शायी गयी है, जिसके सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक: 22–08–2020 को समय 05:44 बजे पंजीकृत करा दी गयी है। अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने में कोई विलम्ब कारित नहीं हुआ है।

29. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का समग्र अवलोकन किया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना दिनांक: 21–08–2020 को घटित हुयी तथा उसके अगले ही दिन प्रातः 05:44 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करा दी गयी, जो परिस्थितियों के अनुरूप स्वाभाविक एवं युक्तिसंगत है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि घटना रात्रि के समय हुई थी तथा वादी को घटना की सूचना प्राप्त कर घटनास्थल पर पहुँचने एवं आवश्यक विचार–विमर्श के पश्चात रिपोर्ट दर्ज कराने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है। अतः मात्र इस आधार पर कि थाना घटनास्थल से 3 किमी0 की दूरी पर स्थित है, यह नहीं माना जा सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई अनावश्यक या संदिग्ध विलम्ब हुआ है। इसलिए बचाव पक्ष का यह तर्क निराधार है तथा अभियोजन का यह कथन कि प्रथम सूचना रिपोर्ट समयानुसार

एवं बिना अनुचित विलम्ब के दर्ज करायी गयी, स्वीकार किये जाने योग्य है।

30. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि **चिकित्सीय साक्ष्य भी अभियोजन का समर्थन नहीं करता, क्योंकि चिकित्सक ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि पायी गयी चोट साधारण रूप से पत्थर पर गिरने से भी सम्भव है तथा शरीर पर अन्य कोई बाहरी चोट नहीं पायी गयी।**

31. इसके विपरीत अभियोजन द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतका की मृत्यु सामान्य से अन्यथा परिस्थितियों में उसके सिर में गम्भीर चोट आने के कारण हुयी है। साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा मूसली से मृतका के सिर में गम्भीर चोट पहुँचायी गयी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी।

32. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का समग्र अवलोकन किया। मृतका चम्पा देवी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके सिर पर मृत्युपूर्व एक चोट दर्शायी गयी है और मृत्यु का तात्कालिक कारण Coma due to antemortem head injury दिखाया गया है। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि चिकित्सक साक्षी पी0 डब्ल्यू0-4 डॉ0 अश्वनी कुमार के साक्ष्यों से भी होती है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि **मृतका के शरीर पर मृत्युपूर्व एक चोट लैसेरेटेड वुण्ड 12 सेमी0 X 6 सेमी० X ब्रेन कैविटी डीप, माथे पर दाहिनी ओर दाहिनी भौंह से 1.00 सेमी० ऊपर से पैराइटल रीजन तक मौजूद पाया गया है तथा सिर की दाहिनी पैराइटल एवं फ्रन्टल बोन फ्रैक्चर पायी गयी है।** जहाँ तक बचाव पक्ष के इस तर्क का प्रश्न है कि मृतका के सिर में चोट उसके पत्थर पर गिरने के कारण आयी, यह स्वाभाविक नहीं माना जा सकता, क्योंकि मृतका यदि स्वयं पत्थर पर गिरती तो उसके शरीर के अन्य भागों पर भी अवश्य चोटें आतीं, जबकि मृतका के शरीर पर केवल एक चोट पायी गयी है। इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य एवं मौखिक/परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि

Date: 25-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

बचाव पक्ष का यह तर्क कि चोट साधारण गिरने से भी सम्भव है, अपने आप में अभियोजन के मामले को निष्प्रभावी नहीं करता। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि केवल इस आधार पर कि कोई चोट किसी अन्य तरीके से भी सम्भव है, अभियोजन का कथानक अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि उपलब्ध साक्ष्य अभियोजन की कहानी के साथ संगत एवं विश्वसनीय हो। प्रस्तुत प्रकरण में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि मृतका की मृत्यु सिर में आई गम्भीर, गहरी एवं घातक चोट के कारण हुयी, जो सामान्य परिस्थितियों में आकस्मिक गिरने की अपेक्षा अधिक बलपूर्वक आघात की ओर संकेत करती है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य, घटनास्थल से मूसली की बरामदगी तथा घटना से पूर्व अभियुक्त एवं मृतका के मध्य विवाद के तथ्य परस्पर एक सुसंगत श्रृंखला बनाते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चोट आकस्मिक न होकर किसी ठोस वस्तु, अर्थात मूसली से प्रहार का परिणाम थी। यद्यपि चिकित्सक ने यह सम्भावना व्यक्त की है कि ऐसी चोट गिरने से भी आ सकती है, किन्तु यह केवल एक सैद्धान्तिक सम्भावना है, न कि इस मामले के तथ्यों के अनुरूप कोई प्रत्यक्ष निष्कर्ष। इसके विपरीत, अभियोजन का कथन घटनास्थल की परिस्थितियों, बरामद वस्तुओं तथा उपलब्ध साक्ष्यों से पुष्ट होता है कि अभियुक्त ने मूसली से प्रहार किया, जिससे मृतका के सिर में गम्भीर चोट आयी और उसकी मृत्यु हो गई। अतः समस्त साक्ष्यों के समन्वित परीक्षण से यह स्थापित होता है कि मृतका की मृत्यु सामान्य दुर्घटना नहीं, बल्कि अभियुक्त के कृत्य का परिणाम थी और इस प्रकार अभियोजन का तर्क अधिक विश्वसनीय, तार्किक एवं स्वीकार्य है।

33. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि **अभिलेखीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य में गम्भीर तात्विक विरोधाभास विद्यमान** है, जिससे कथित घटना संदिग्ध हो जाती है।

34. इसके विपरीत अभियोजन की ओर से इसका घोर विरोध किया

गया और यह कथन किया गया कि यद्यपि अभिलेखीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य में सूक्ष्म प्रकृति के विरोधाभास विद्यमान हैं, परन्तु वे इस श्रेणी के नहीं हैं कि सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाते हों।

35. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभिलेख के समग्र अवलोकन से यह न्यायालय पाता है कि बचाव पक्ष द्वारा इंगित किये गये अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों के मध्य कथित विरोधाभास ऐसे प्रकृति के नहीं हैं, जो अभियोजन के मूल कथानक को अविश्वसनीय या संदिग्ध बना सकें। विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि मानवीय स्मृति, समयांतराल एवं परिस्थितियों के प्रभाव के कारण साक्षियों के बयानों में कुछ सूक्ष्म अथवा गौण असंगतियाँ होना स्वाभाविक है और जब तक ये विरोधाभास घटना के मूल स्वरूप, अपराध की प्रकृति अथवा अभियुक्त की संलिप्तता को प्रभावित न करें, तब तक उन्हें अभियोजन के विरुद्ध घातक नहीं माना जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र परीक्षण से यह स्पष्ट है कि मुख्य घटना मृतका को सिर में गम्भीर चोट लगना एवं उसी के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु होना, सभी साक्ष्यों में समान रूप से स्थापित है। अभिलेखीय साक्ष्य, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से बरामद सामग्री तथा विवेचना में संकलित तथ्य, मौखिक साक्ष्यों के साथ समग्र रूप से सामंजस्य स्थापित करते हैं। जो भी विरोधाभास परिलक्षित होते हैं, वे केवल सूक्ष्म प्रकृति के हैं और घटना के मूल आधार को प्रभावित नहीं करते। भारतीय कानून में "*falsus in uno, falsus in omnibus*" (एक बात झूँठी है तो सब झूँठा है) का सिद्धांत स्वतः लागू नहीं होता। केवल एक विरोधाभासी बयान की वजह से पूरे गवाह का बयान/पूरे केस को खारिज नहीं किया जाता। न्यायालय तथ्यों का समग्र मूल्यांकन करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की श्रृंखला एक समान, संगत एवं विश्वसनीय है और कथित विरोधाभास केवल सामान्य मानवीय त्रुटियाँ हैं, न कि ऐसे तात्विक दोष जो

Date: 25-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

अभियोजन के पूरे प्रकरण को संदेहास्पद बना दें। फलतः बचाव पक्ष का यह तर्क अस्वीकार्य है तथा अभियोजन का कथन स्वीकार किये जाने योग्य है।

36. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि **कथित घटना कारित करने का कोई हेतुक नहीं दिखाया गया है।**

37. इसके विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कथित घटना पारिवारिक एवं घर में हिस्से की माँग को लेकर विवाद रहा है। इसी विवाद को लेकर कथित अभियुक्त एवं मृतका के मध्य मारपीट हुयी है, जिसमें मृतका की मृत्यु हुयी है। इस प्रकार घटना का हेतुक सिद्ध है।

38. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का समग्र अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार अभियुक्त गुड्डू की पत्नी मृतका श्रीमती चम्पा देवी अपने घर में हिस्से की माँ की, जिसको लेकर कथित विवाद उत्पन्न हुआ। परन्तु अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य के अन्य साक्षियों ने कथित घटना कारित करने के हेतुक के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किये हैं। केवल पी0 डब्ल्यू0–1 आत्माराम ने बंटवारे का हिस्सा मांगने के कारण उक्त घटना कारित होने का कथन किया है, परन्तु उक्त कथानक का समर्थन किसी अन्य साक्ष्य से नहीं होता है। अभियुक्त गुड्डू के विरुद्ध आरोप मुख्यतः कथित इकबालिया बयान एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। **कथित हिस्से के विवाद के सम्बन्ध में कोई ठोस, स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।** इसके अतिरिक्त, यह भी महत्वपूर्ण है कि अभियोजन यह स्थापित नहीं कर सका कि वास्तव में कोई ऐसा तात्कालिक विवाद हुआ था, जिससे घटना घटित होने का प्रत्यक्ष कारण सिद्ध हो सके। कथित संपत्ति/हिस्सेदारी के विवाद के समर्थन में कोई दस्तावेज, स्वतंत्र गवाह या ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः समग्र साक्ष्यों के मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि कथित हेतुक (हिस्से

का विवाद) केवल अनुमान एवं अपुष्ट कथनों पर आधारित है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष कथित घटना के पीछे कोई ठोस, विश्वसनीय एवं सुसंगत हेतुक सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है।

39. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि **अभियोजन द्वारा कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी पूर्ण हो रही है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप साबित नहीं होता है।**

40. इसके विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अभियोजन द्वारा तथ्य के तीन साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं तथा उनके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुये बयान दिया गया है। हालांकि परीक्षित कराये गये तीनों साक्षीगण परिस्थितिजन्य साक्षी हैं, किन्तु उनके बयानों से परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी पूर्ण हो रही है और अभियुक्त की प्रस्तुत प्रकरण में सदोषिता स्थापित करने हेतु पर्याप्त है।

41. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य विद्यमान नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण लास्ट सीन थ्योरी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य का बहुत ही गहनता से विवेचन करना आवश्यक है तथा साक्ष्य की ऐसी कड़ियों को स्थापित करना आवश्यक है, जो घटना की वास्तविकता को उजागर कर सके। परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला क्या है, इसका निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **पड़ाला वीरा रेड्डी बनाम स्टेट आफ आंध्र प्रदेश, ए0 आई0 आर0 एस0 सी0 79** में किया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि जहां पर प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, वहां पर

Date: 25-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

न्यायालय को यह देखना चाहिए कि–

(A) परिस्थितियां जिससे अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकाला जा रहा है, पूर्ण रूप से स्थापित होना चाहिए।

(B) ऐसी परिस्थितियां निश्चित प्रकृति की होनी चाहिए।

(C) ऐसी परिस्थितियों में केवल अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकल रहा हो।

(D) परिस्थितिजन्य साक्ष्य से ऐसी श्रृंखला स्थापित होती हो कि कथित अपराध अभियुक्तगण ने ही किया है।

42. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **महाराष्ट्र राज्य बनाम मंगीलाल, (2010) (2) सुप्रीम कोर्ट पेज (क्रिमिनल) 554 पेज 28** के मामले में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

''यदि किसी केस में घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तो सामान्यत: संदेह के आधार पर या अन्तिम दृष्टा के रूप में गवाह के बताने के अनुसार अभियुक्त को नामित किया जाता है। आपराधिक न्याय शास्त्र का यह स्वर्णिम सिद्धान्त है कि संदेह चाहे कितना ही गहरा हो, वह प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है तथा अपराध जितना गम्भीर होगा, उसे साबित करने के लिए उतने ही प्रबल साक्ष्य की आवश्यकता होती है।''

43. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मन्नू साब बनाम स्टेट आफ बिहार 2010 (31) क्राइम्स (एस.सी.) 265** के मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

"It is the settled principle of law that an accused can be punished if he is found guilty even in case of circumstantial evidence provided the prosecution is able to prove beyond the

reasonable doubt, complete chain of events and circumstances which definitely point towards the involvement and guilty of the suspect or accused as the case may be."

44. उपरोक्त सिद्धान्त के आधार पर सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि इस प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षीगण द्वारा घटना के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य दी गयी अथवा नहीं।

45. पत्रावली का समग्र अवलोकन करने के उपरान्त यह न्यायालय पाता है कि यद्यपि प्रस्तुत प्रकरण में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उपलब्ध नहीं है, तथापि केवल इसी आधार पर अभियोजन का सम्पूर्ण मामला अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी अभियुक्त की दोषसिद्धि की जा सकती है, बशर्ते कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण, संगत एवं अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना को निष्कासित करने वाली हो। प्रस्तुत वाद में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक सुदृढ़ एवं पूर्ण श्रृंखला स्थापित होती है–

प्रथम–पी0 डब्ल्यू0–1 आत्माराम, जो मृतका का सगा भाई है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि घटना के पूर्व मृतका एवं अभियुक्त के मध्य आर्थिक एवं पारिवारिक विवाद चल रहा था तथा घटना वाले दिन अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ मारपीट की गयी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी। यद्यपि जिरह में उसने कुछ हद तक अपने पूर्व कथन से विचलन किया, तथापि उसका यह कथन कि मृतका के साथ पारिवारिक

तनाव एवं विवाद की स्थिति थी, अभियोजन के कथानक को पुष्ट करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि वह अशिक्षित व्यक्ति है तथा प्रारम्भिक तहरीर भी उसने अन्य व्यक्तियों से लिखवायी थी, जिससे उसके कथनों में आंशिक विरोधाभास स्वाभाविक है।

द्वितीय–पी0 डब्ल्यू0–2 भगवानदास यद्यपि न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है एवं पी0 डब्ल्यू0–3 मुकेश द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में कथित घटना का खण्डन किया है, तथापि उनके साक्ष्य को पूर्णतः त्यागा नहीं जा सकता। उनके बयानों से यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि घटना मृतका के ससुराल में ही घटित हुयी तथा उसकी मृत्यु सिर में लगी चोट के कारण हुयी। यह तथ्य अभियोजन के मूल कथानक के साथ पूर्णतः संगत है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षद्रोही साक्षी के उस भाग पर विश्वास किया जा सकता है जो अभियोजन के पक्ष का समर्थन करता हो।

तृतीय–प्रस्तुत प्रकरण में चिकित्सक साक्षी पी0 डब्ल्यू0–4 डा0 अश्वनी कुमार का साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसने यह सिद्ध किया है कि मृतका के सिर पर 12 सेमी x 6 सेमी का गहरा लैसरेटेड घाव था, जिससे फ्रंटल एवं पैराइटल बोन फ्रैक्चर हो गयी थी तथा मृत्यु का कारण उक्त सिर की गम्भीर चोट से उत्पन्न कोमा था। इस प्रकार यह निर्विवाद रूप से स्थापित होता है कि मृत्यु स्वाभाविक नहीं, बल्कि एक गम्भीर आघात के कारण हुयी। यद्यपि चिकित्सक ने यह सम्भावना व्यक्त की है कि ऐसी चोट

Date: 25-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

गिरने से भी आ सकती है, किन्तु यह केवल एक संभाव्यता है, न कि निश्चित निष्कर्ष।

चतुर्थ–विवेचना के दौरान घटनास्थल से रक्तरंजित गद्दे के टुकड़े तथा लोहे की मूसली की बरामदगी की गयी, जिसका उल्लेख पी0 डब्ल्यू0–6 एवं पी0 डब्ल्यू0–7 द्वारा किया गया है। यह बरामदगी इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि घटनास्थल पर हिंसात्मक गतिविधि हुयी थी तथा मूसली जैसे कठोर वस्तु से प्रहार किया गया।

पंचम–पी0 डब्ल्यू0–8 द्वारा की गयी विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतका एवं अभियुक्त के मध्य विवाद हुआ था तथा अभियुक्त द्वारा घटना कारित की गयी। अभियुक्त का कथित इकबाल एवं उसके विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया जाना भी परिस्थितिजन्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण अंग है।

षष्टम–पत्रावली पर उपलब्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद की आख्या से स्पष्ट है कि **परीक्षण परिणाम में वस्तु 1–ब्लाउज, 2–पेटीकोट, 5–माला मोती, 10–खूनालूदा टुकड़ा गद्दा/गुदड़ी व 12–मूसली लोहा पर मानव रक्त पाया गया है।**

सप्तम–पंचायतनामा प्रदर्श क–5 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि मृतका चम्पा देवी पत्नी गुड्डू की मृत्यु सिर में आयी चोटों के कारण होना प्रतीत होती है।

अष्टम–पुनश्च घटनास्थल मृतका की ससुराल है और उसका पति गुड्डू ही वहाँ मौजूद था। उसके द्वारा स्वयं

Date: 25-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

इकबालिया बयान दिया गया है तथा घटना के लिये किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता नहीं बतायी गयी है। अर्थात शक की सुई अभियुक्त गुड्डू के अलावा कहीं अन्यत्र नहीं जाती है।

46. उपरोक्त समस्त साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि– (i) मृतका की मृत्यु उसकी ससुराल में हुयी, (ii) मृत्यु सिर में लगी गम्भीर चोट से हुयी, (iii) घटना से पूर्व अभियुक्त एवं मृतका के मध्य विवाद था, (iv) घटनास्थल से प्रहार में प्रयुक्त मूसली की बरामदगी हुयी तथा (v) कोई वैकल्पिक, ठोस एवं विश्वसनीय परिकल्पना बचाव पक्ष द्वारा स्थापित नहीं की जा सकी।

47. इस प्रकार कथित घटना को कारित करने की सुई मात्र अभियुक्त की ओर ही इंगित करती है, अन्य किसी व्यक्ति की ओर नहीं। यह परिस्थितियां Mens rea, Actus reas सभी को प्रमाणित करती है। ऐसी स्थिति में घटना की सभी कड़ियां एक श्रृंखला का निर्माण करती हैं और इन परिस्थितियों में उपरोक्त की गयी विवेचना व पूर्व में स्थापित सिद्धान्तों के आधार पर उक्त सम्पूर्ण परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से स्थापित हैं और कथित घटना की श्रृंखला को पूरा करती हैं और अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे साबित करती हैं। अतः यह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की ऐसी पूर्ण एवं अखण्ड श्रृंखला है, जो अभियुक्त की ओर ही इंगित करती है और उसकी निर्दोषिता की सम्भावना को समाप्त करती है।

48. उपरोक्तानुसार विचारणीय बिन्दु संख्या–1 निस्तारित किया जाता है।

49. **अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या धारा 304 भा0 दं0 सं0 का अपराध अभियुक्त के विरूद्ध बनता है अथवा नहीं ?**

50. उपरोक्त समस्त मौखिक, चिकित्सीय एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों

के सम्यक् मूल्यांकन के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मृतका चम्पा देवी की मृत्यु स्वाभाविक अथवा आकस्मिक नहीं, अपितु उसके सिर पर आई गम्भीर चोट के कारण हुयी, जो लोहे की मूसली से प्रहार का परिणाम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित है कि मृतका को घातक हेड इंजरी लगी, जिससे उसकी मृत्यु हुयी। घटनास्थल से लोहे की मूसली की बरामदगी, रक्तरंजित वस्तुओं का पाया जाना तथा मृतका एवं अभियुक्त के मध्य घटना से पूर्व विवाद की स्थिति, इन सभी परिस्थितियों से यह सिद्ध होता है कि घटना के समय अभियुक्त उपस्थित था और उसी के द्वारा आवेश में आकर उक्त प्रहार किया गया। यद्यपि अभियोजन द्वारा कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है, तथापि प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य एक पूर्ण एवं अखण्ड श्रृंखला बनाते हैं, जो केवल और केवल अभियुक्त की ओर ही संकेत करती है तथा किसी अन्य वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। साक्षियों के बयानों में विद्यमान सूक्ष्म विरोधाभास अभियोजन के मूल कथानक को प्रभावित नहीं करते, बल्कि समग्र रूप से यह स्थापित करते हैं कि घटना अचानक उत्पन्न विवाद एवं आवेश की स्थिति में घटित हुयी। अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त द्वारा जान से मारने का पूर्वनियोजित आशय भले ही सिद्ध न हो, किन्तु यह स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि उसने ऐसे कृत्य को अंजाम दिया, जिससे मृत्यु कारित होना स्वाभाविक एवं सम्भावित था। इस प्रकार अभियुक्त का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 (भाग–II) के अन्तर्गत दण्डनीय आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है।

<u>निस्तारण विचारणीय बिन्दु संख्या–2</u>

51. पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक, चिकित्सीय साक्ष्य, प्रलेखीय साक्ष्य, वर्णित विधि व्यवस्थाओं तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों का परिशीलन करके तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की सारगर्भित

Date: 25-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

बहस सुनने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त गुड्डू द्वारा वादी मुकदमा पी0 डब्ल्यू0–1 आत्माराम की बहन चम्पा देवी को आवेश में आकर लोहे की मूसली से उसके सिर पर प्रहार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी।

52. अत: अभियुक्त **गुड्डू** को आरोपित अपराध धारा **304 (भाग–II) भा0 दं0 सं0** में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

53. अभियुक्त सत्र परीक्षण में जमानत पर है। अभियुक्त के व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके प्रतिभू के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक: 26–03–2026 को पेश हो।

54. इस प्रकार विचारणीय बिन्दु संख्या–2 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

दिनांक: 25–03–2026

(विष्णु कुमार शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।
J.O. Code No. UP–1890

Date: 25-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

दिनांक: 26–03–2026

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुयी। दोषसिद्ध गुड्डू जिला कारागार से तलब होकर उपस्थित आया।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। सजा के बिन्दु पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि दोषसिद्ध अत्यन्त बीमार है। उसके दो छोटे–छोटे बच्चे हैं। उनकी देखभाल करने वाला उसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। यह उसकी प्रथम दोषसिद्धि है। दोषसिद्ध द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा अन्य कोई मुकदमा उसके विरूद्ध पंजीकृत नहीं है और न ही किसी अपराध में पूर्व में दोषसिद्ध हुआ है। उसके दो बच्चे हैं। उनकी देखभाल करने वाला उसके अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में दोषसिद्ध को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह कथन किया गया है कि दोषसिद्ध द्वारा आवेश में आकर अपनी पत्नी चम्पा देवी को लोहे की मूसली से सिर में प्रहार कर चोट पहुँचाने के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुयी है। उक्त आधार पर दोषसिद्ध को अधिकतम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया।

दोषसिद्ध वर्ष 2020 (लगभग 05 वर्षों) से मुकदमे में उपस्थित हो रहा है, जो कि अपने आपमें एक दण्ड के समान है। इसके अतिरिक्त दोषसिद्ध की ओर से जरिये शपथ पत्र यह कहा गया है कि यह उसकी प्रथम दोषसिद्धि है। उसका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोषसिद्ध गम्भीर रूप से

Date: 26-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

बीमार है। उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। अतः न्यायालय के विचार से न्यायहित में दोषसिद्ध को अर्थदण्ड के साथ परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ प्रदान किया जाना, न्याय के उददेश्यों की पूर्ति के लिये पर्याप्त होगा और परिवीक्षा के माध्यम से भविष्य के लिये गांवों में सामान्य स्थिति और शान्ति बहाल होगी।

आदेश

सत्र वाद संख्या-1098/2020, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम गुड्डू, मुकदमा अपराध संख्या-468/2020, थाना बण्डा, जिला शाहजहाँपुर में अभियुक्त **गुड्डू** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 304 (भाग–II) **भा0 दं0 सं0** में **दोषसिद्ध** किया गया है।

दोषसिद्ध **गुड्डू** को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुये तत्काल सजा न देने के बजाय **अंकन 5,000/-रू0 अर्थदण्ड** के साथ **दो वर्ष की सदाचरण की परिवीक्षा** में इस शर्त के साथ रिहा किया जाता है कि दोषसिद्ध दो वर्ष की अवधि के दौरान परिशान्ति कायम रखेगा तथा सदाचारी बना रहेगा। दोषसिद्ध **अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि अंकन 5,000/- रू0 सात दिन के अन्दर जमा करेगा।** उपरोक्त शर्तों के भंग होने की दशा में दोषसिद्ध न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर दण्डादेश भोगे जाने हेतु न्यायालय में उपस्थित होगा।

उपरोक्त दोषसिद्ध **पन्द्रह दिन** के अन्दर जिला परिवीक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर के समक्ष उपस्थित होकर ऊपरी वर्णित शर्तों के सम्बन्ध में **बीस हजार रूपये के दो प्रतिभू एवं स्वयं का बंधपत्र निष्पादित करेगा।**

जिला परिवीक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर को निर्देशित किया जाता है कि **ऊपरी वर्णित अवधि दो वर्ष तक दोषसिद्ध को निगरानी में रखेंगे और उसके आचरण के सम्बन्ध में न्यायालय को नियमानुसार सूचित करेंगे।**

उपरोक्त दोषसिद्ध **गुड्डू** को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह

Date: 26-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890

न्यायालय के समक्ष **बीस हजार रूपये की अण्डरटेकिंग** इस आशय का निष्पादित करे कि उपरोक्त वर्णित अवधि के भीतर जिला परिवीक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर के समक्ष स्वयं की जमानतें एवं बंधपत्र दाखिल करेगा।

इस निर्णय की एक प्रति जिला परिवीक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये एवं एक प्रति दोषसिद्ध को नि:शुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक: 26–03–2026 **(विष्णु कुमार शर्मा)**
सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।
J.O. Code No. UP-1890

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक: 26–03–2026 **(विष्णु कुमार शर्मा)**
सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।
J.O. Code No. UP-1890

Date: 26-03-2026 **(Vishnu Kumar Sharma)**
Sessions Judge, Shahjahanpur.
J.O. Code-UP1890